संख्या-3/2020/697/2020-16(11)/2014 टी0सी0-3

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक: 19 जून, 2020

विषय: प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थानों में सत्र 2019-20 की परीक्षाएं सम्पन्न कराये जाने एवं बी0एड0-2020 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

कोविड-19 महामारी की रोकथाम के संबंध में देश व्यापी लाकडाउन दिनांक 01 जून, 2020 से 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहने के संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020-डी0एम0-1(ए) दिनांक 30 मई, 2020 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है। भारत सरकार के उक्त दिशा-निर्देश के संदर्भ में गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-1382/2020/सी0एक्स-3 दिनांक 31 मई, 2020 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है। तत्क्रम में प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों के संबंध में निम्न निर्णय लिए गए हैं:-

(1) राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाएं दिनांक 30 जून, 2020 के बाद प्रारंभ की जाएगी।

(2) बी0एड0-2020 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा माह जुलाई में किसी रविवार के दिन करायी जाय और राज्य/निजी विश्वविद्यालय उस दिन अपनी कोई परीक्षा आयोजित न करें।

(3) कोविड-19 के दृष्टिगत उक्त परीक्षाओं के संचालन हेतु निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

1. परीक्षा केन्द्रों पर संस्थान द्वारा पर्याप्त सेनिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय। प्रवेश-द्वार पर हाथों को कीटाणु-रहित करने हेतु एल्कोहल युक्त सेनिटाइजर का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए।
2. परीक्षा केन्द्रों पर तैनात शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों तथा छात्रों के प्रवेश के समय इन्फ्रारेड थर्मामीटर के माध्यम से उनके तापमान लेने तथा उनके द्वारा फेस-मास्क, फेस कवर का पालन सुनिश्चित कराया जाय।
3. परीक्षा केन्द्रों पर सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाय। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय कि छात्रों की अधिक संख्या में उपस्थिति के दृष्टिगत एक ही स्थान पर भीड़भाड़ न हो।
4. सोशल डिस्टेसिंग के मानकों को सुनिश्चित करने हेतु परीक्षा केन्द्रों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। छात्रों के आवागमन को कम करने के लिए तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने के लिए हर जिले में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

परीक्षा केन्द्र खोले जा सकते हैं। बी0एड0-2020 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा हेतु अन्य राज्यों में भी आवश्यकतानुसार परीक्षा केन्द्र खोले जाने पर विचार किया जा सकता है।

5. परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड के आधार पर परीक्षा केन्द्रों पर जाने की अनुमति होगी।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

संख्या-3/2020/697/(1)/सत्तर-1-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रबन्धक/प्राचार्य समस्त शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2- कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(मोनिका एस0 गर्ग)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।